[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 1/ 2020- सीमा शुल्क (सीवीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी, 2020

सा.का.नि. (अ). जहां कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "कान्टीन्युअस कास्ट कापर वायर रॉड्स" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 7408 के अंतर्गत आता है, के मामले में अधिसूचना संख्या 6/17/2018-डीजीएडी, दिनांक 5 नवम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि -

(i) मैसर्स एसईआई थाई इलैक्ट्रिक कंडक्टर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड से हुए निर्यात को छोड़कर उक्त विषयगत वस्तु का विषयगत देशों से भारत को आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किया गया था;

(ii) विषयगत वस्तु के आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किए जाने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) उक्त सारवान क्षति उक्त विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आर्थिक सहायता प्राप्त आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों

पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु पर, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) में उल्लिखित दर से संगणित 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि, अवतरण मूल्य के % के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7408	कान्टीन्युअस कास्ट कापर वायर रॉड्स	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	एसईआई थाई इलैक्ट्रिक कंडक्टर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड	शून्य
2.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	3.46%
3.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम से भिन्न कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी	3.46%
4.	-तदैव-	-तदैव-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	पीटी. टेम्बागा मूलिया सिमानन, टीबीके	3.75%
5.	-तदैव-	-तदैव-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	पीटी. कार्यासुमिदेन, इंडोनेशिया	4.98%
6.	-तदैव-	-तदैव-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 4 और 5 में उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई भी उत्पादक	7.94%
7.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड, इंडोनेशिया,	इंडोनेशिया	कोई भी	7.94%

			मलेशिया और वियतनाम से भिन्न कोई भी देश			
8.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	मैट्रोड मलेशिया एडीएनबीएचडी	2.47%
9.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 8 में उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई भी उत्पादक	10.27%
10.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम से भिन्न कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	10.27%
11.	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम समेत कोई भी देश	कोई भी	7.13%
12.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम से भिन्न कोई भी देश	वियतनाम	कोई भी	7.13%

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

(क) ऐसी काउंटरवेलिंग ड्यूटी की संगणना के उद्देश्य से लागू होने वाली विनिमय दर वही दर होगी जो कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो और विनिमय दर के निर्धारण

की संगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल ऑफ इंट्री को प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी ।

(ख) "अवतरण मूल्य" से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत यथा निर्धारित आंकलन योग्य मूल्य से है और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत आने वाले शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क शामिल हैं ।

[फाइल संख्या 354/121/2019 - टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार